[2019] 10 एस. सी. आर. 675

तरुण जीत तेजपाल

वी.

गोवा राज्य और ए. एन. आर.

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1246)

19 अगस्त, 2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 227 , 228 - का दायरा

आरोप तय करने के चरण में शक्ति का प्रयोग-तत्काल मामले में, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त एस. एस. के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था। 354 , 354 ए, 354 बी, 341,342,376 (2) (एफ) और 376 (2) (के), आईपीसी-जांच अधिकारी द्वारा दायर आरोप पत्र-सत्र न्यायाधीश ने आरोप लगाने का आदेश दिया अपीलार्थी के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत अपराधों के लिए तैयार किया जाना-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया

उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया और अस्वीकार कर दिया

आरोपमुक्त करने की मांग इस आधार पर की गई थी कि वर्तमान मामले में सूचना देने वाला और जांच अधिकारी दोनों समान थे और इसलिए, पूरी आपराधिक कार्यवाही को दूषित कर दिया गया था-रिलायंस को रखा गया था मोहन लाल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर। पंजाब राज्य (2018) 17 एससीसी 627-आयोजितः अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ

योग्यता पर हैं और परीक्षण के दौरान एक उचित स्तर पर उनसे निपटने और विचार करने की आवश्यकता है-कुछ

पीड़ित/अभियोजक के आचरण पर अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों को भी मुकदमे के दौरान एक उचित स्तर पर निपटा जाना और उन पर विचार किया जाना आवश्यक है-वे नहीं हैं

आरोप तय करने के चरण में विचार किया गया-अपीलार्थी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है और इसलिए, निचली अदालत ने उसके खिलाफ आरोप सही तरीके से तैयार किया है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी सही पुष्टि की गई है-कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी को इस आधार पर आरोपमुक्त नहीं किया जाएगा कि वर्तमान मामले में, दोनों,

सूचना देने वाला और जाँच अधिकारी एक ही हैं, क्योंकि मोहन लाल मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मामले में कार्यवाही निर्णय से पहले शुरू की गई थी।

मोहन लाल मामला-कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं-निचली अदालत ने मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 354 , 354 ए, 354 बी, 341,342,376 (2) (एफ) और 376 (2) (के)-के खिलाफ अपराध

महिलाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को खारिज करते हुए और एम. ए. का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

तत्काल मामले में अभियोजन बहुत पहले शुरू किया गया है मोहन लाल के मामले में निर्णय। अतः, अपीलार्थी

इस स्तर पर मुख्य रूप से इस आधार पर आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता है कि जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता/मुखबिर समान होने के कारण मोहन लाल के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए मुकदमा दूषित हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान सिंह के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से पेश वकील ने भरोसा किया था, भी इस स्तर पर अपीलार्थी के लिए ज्यादा सहायक नहीं होगा। भगवान सिंह के मामले में और मुकदमे के बाद इस अदालत ने कहा कि

शिकायतकर्ता स्वयं जाँच अधिकारी था, अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से मुक्त नहीं होगा। यह मुकदमे के बाद का मामला था न कि आरोप तय करने के चरण में। जहाँ शिकायतकर्ता ने स्वयं जाँच की थी, अभिलेख पर साक्ष्य का आकलन करते समय मामले के ऐसे पहलू को निश्चित रूप से उचित महत्व दिया जा सकता है, लेकिन यह कहना पूरी तरह से अलग बात होगी कि इस तरह के उल्लंघन के लिए मुकदमे को ही दूषित किया जाएगा। इसलिए, उक्त आधार पर इस स्तर पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात्, प्रभार तैयार करने के चरण में। प्रभार के निर्धारण के चरण में, विभिन्न विचारों पर विचार किया जाएगा। [पैरा 8.2] [685-ए-एच]

2. योग्यता के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

पीड़ित/अभियोजक के आचरण पर अपीलार्थी की ओर से की गई कार्रवाई पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। मुकदमे के दौरान एक उपयुक्त चरण। शुल्क तय करने के इस चरण में इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक से अधिक मामला है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है। अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है और इसलिए निचली अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप सही तरीके से तैयार किया है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी सही पुष्टि की गई है। इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। [पैरा 9.5] [694-ए-ई] तरुण जीत तेजपाल बनाम।

गोवा राज्य और ए. एन. आर.

भगवान सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (1976) 1 एससीसी

15 ; मोहन लाल बनाम। पंजाब राज्य (2018) 17 एससीसी

627 [2018] 9 एस. सी. आर. 1006 लागू नहीं होता।

भारत संघ बनाम। प्रफुल्ल कुमार सामल (1979) 3 एससीसी

4 : [1979] 2 एस. सी. आर. 229; बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह,

एससीसी 715: [1989] 1 एससीआर 560; अमित कपूर बनाम। रमेश चंदर (2012) 9 एससीसी 460: [2012] 7 एससीआर 988; अजय

सिंह बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2017) 3 एस. सी. सी. 330:

[2017] 1 एस. सी. आर. 286; निरंजन सिंह करम सिंह

पंजाबी बनाम। जितेंद्र भीमराज बिजया (1990) 4 एस. सी. सी.

(2014) 11 एससीसी 709: [2014] 1 एस. सी. आर. 135; राज्य बनाम. एस. सेल्वी (2018) 13 एस. सी. सी. 455; मौविन गोडिन्हो बनाम। की स्थिति

गोवा (2018) 3 एस. सी. सी. 358: [2018] 1 एस. सी. आर. 821; वरिंदर

कुमार बनाम. हिमाचल प्रदेश राज्य (2019) एससीसी

ऑनलाइन एससी 170 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

(1976) 1 एससीसी 15

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

5.5

अप्रयोज्य रखा गया

[2018] 9 एससीआर 1006

पैरा

5.5

[1979] 2 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.3

[1978] 1 एससीआर 257

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.3

[1989] 1 एससीआर 560

पैरा

6.3

संदर्भित किया गया है

[2012] 7 एससीआर 988

पैरा

6.3

संदर्भित किया गया है

[2017] 1 एससीआर 286

पैरा

6.3

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 एससीआर 633

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.3

[2014] 1 एससीआर 135

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.3

(2018) 13 एससीसी 455

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.3

[2018] 1 एससीआर 821

संदर्भित किया गया है

[2019] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 1246। सी. आर. एल. में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.12.2017 के निर्णय और आदेश से। 2017 का पुनरीक्षण आवेदन संख्या 60।

के साथ

एस. एल. पी. में एम. ए. सं. 2207/2018 (सी. आर. एल.) सं. 3149-3150/2014।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अंकुर चावला, आमिर खान, आदित्य पुजारी, भानु सूद, सर्वेश सिंह बघेल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, संतोष सल्वाडोर रेबेलो, सुश्री विदुषी, मैसर्स। के. जे. जॉन एंड कंपनी, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

3. कि इसमें अपीलार्थी-मूल अभियुक्त आई. पी. सी. की धारा 354,354 ए, 354 बी, 341,342,376 (2) (एफ) और 376 (2) (के) के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी पुलिस निरीक्षक, सी. आई. डी., अपराध शाखा, डोना पाउला द्वारा 'आई. डी. 1' पर कथित रूप से किए गए उपरोक्त अपराधों के लिए 'आई. डी. 2' पर दर्ज की गई एफ. आई. आर. के अनुसार अपीलार्थी के खिलाफ। कि जाँच अधिकारी प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य एकत्र करता है और अभियोजक सहित संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज करता है और उसके बाद अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करता है।

उपरोक्त अपराध। कि इसके बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मापुसा ने 07.09.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से आरोप तय करने का आदेश दिया

अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 354,354 ए, 354 बी, 341,342,376 (2) (एफ) और 376 (2) (के) के तहत अपराधों के लिए।

3.1 विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 07.09.2017 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मापुसा ने अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया-मूल

उपरोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त, यहाँ अपीलार्थी-मूल अभियुक्त

पुनरीक्षण आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 3.2 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है और अभियुक्त को उन अपराधों के लिए आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। इसलिए, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष है।

4. इसमें अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह पेश हुए हैं-मूल अभियुक्त और भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता अपीलार्थी की ओर से पेश हुए हैं। उत्तरदाताओं।

5.2 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और अब तक के रिकॉर्ड पर साक्ष्य अपीलार्थी के खिलाफ उन अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनाते हैं जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। 5.3 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने आगे कहा है कि

सीसीटीवी फुटेज में अपीलार्थी के खिलाफ उन अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।

5.4 अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह-मूल अभियुक्त हमें किसी वाट्सऐप पर ले गए हैं।

अभियोजक द्वारा संदेश और उसी पर टिप्पणी की है और [2019] 10 एस. सी. आर.

उसने प्रस्तुत किया है कि अभियोजक बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है और अभियोजक पर विश्वास नहीं किया जाएगा। 5.5 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी समान हैं और इसलिए पूरी आपराधिक कार्यवाही को दूषित कर दिया गया है। अपनी उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ

अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भगवान सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। राजस्थान राज्य (1976) 1 एस. सी. सी. 15 के साथ-साथ मोहन लाल बनाम के मामले में इस न्यायालय का बाद का निर्णय। पंजाब राज्य (2018) 17 एससीसी 627।

5.6 श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मुकेश सिंह बनाम के मामले में दिनांक 1 के आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है। राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा) एसएलपी (सी. आर. एल.) डी. 2018 का No.39528 और इसलिए, यदि यह न्यायालय मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार/पालन करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वर्तमान अपील इस प्रकार हो सकती हैः

मुकेश के मामले में एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय तक लंबित रखा गया सिंह (सुप्रा)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, तथापि, मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि यदि -

5.7 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुतियाँ दी हैं। हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227/228 के स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र के सीमित दायरे को देखते हुए, जिन पर यहां नीचे विचार किया जाएगा, हम इसका प्रस्ताव नहीं करते हैं। विस्तार से जाना और इस स्तर पर गुण-दोष पर प्रस्तुतियों पर विचार करना क्योंकि अन्यथा वर्तमान कार्यवाहियों में इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई भी अवलोकन अंततः मुकदमे में किसी भी पक्ष को प्रभावित कर सकता है।

5.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और उपरोक्त पर भरोसा करना

निर्णय लेने पर, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और रद्द कर दिया जाए और TARUN JIT तेजपाल v. को निर्धारित किया जाए।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए

आई. पी. सी. की धारा 354,354 ए, 354 बी, 341,342,376 (2) (एफ) और 376 (2) (के) के तहत अपराधों से अपीलार्थी। 6. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354,354 ए, 354 बी, 341,342,376 (2) (एफ) और 376 (2) (के) के तहत आरोप पत्र दायर किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद, सामग्री/साक्ष्य पर विचार करने के बाद अभिलेख, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227/228 के तहत आरोप तैयार करने के चरण में उपयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र के सीमित दायरे पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-मूल अभियुक्त को आरोपमुक्त करने से सही ढंग से इनकार कर दिया है और आदेश को रद्द करने से सही ढंग से इनकार कर दिया है।

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने का आदेश दिया गया।

6.2 प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने निम्नलिखित पर बहुत अधिक भरोसा किया हैः

इस न्यायालय के निर्णय उनके इस निवेदन के समर्थन में कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और/या धारा 228 के स्तर पर-आरोप तैयार करने के स्तर पर, साक्ष्य की सच्चाई, सत्यता और प्रभाव जो - अभियोजक के प्रस्तावों को सावधानीपूर्वक नहीं आंका जाना चाहिए। न ही अभियुक्त के संभावित बचाव के साथ कोई वजन जोड़ा जाना चाहिए। यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

कि आरोप तय करने के चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी भी विस्तार से विचार करे और एक संवेदनशील संतुलन में विचार करे कि क्या तथ्य, यदि साबित हो जाते हैं, तो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं। विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि आरोप तैयार करने के चरण में अदालत को केवल इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा भी यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि, प्रारंभिक चरण में, एक मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि [2019] 10 एस. सी. आर. है।

यह मानने के लिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है, न्यायालय के लिए यह कहने के लिए खुला नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

6.3 विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, इस पर पर्याप्त सामग्री/सबूत हैं।

अभियुक्त के खिलाफ रिकॉर्ड और अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

6.4 विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान वकील द्वारा जो भी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होना-मूल अभियुक्त गुण-दोष के आधार पर हैं

मामला और/या उन्हें बचाव का कहा जा सकता है जो अभियुक्त के लिए उपलब्ध हो सकता है और आरोप तय करने के चरण में उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है। अपनी उपरोक्त दलीलों और वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना के समर्थन में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने इस न्यायालय के निम्नलिखित फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया हैः

((i) भारत संघ बनाम। प्रफुल्ल कुमार सामल (1979) 3 एस. सी. सी. 4 (पैरा 10),

((ii) बिहार राज्य बनाम। रमेश सिंह (1977) 4 एस. सी. सी. 39 (पैरा 4),
((iii) स्त्री अतिचार विरोधी परिषद बनाम। दिलीप नाथुमल

चोर्डिया, (1989) 1 एस. सी. सी. 715,

(iv) अमित कपूर बनाम। रमेश चंदर (2012) 9 एस. सी. सी. 460,
(v) अजय सिंह बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य, (2017) 3 एससीसी 330,

(vi) निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम। जितेंद्र भीमराज बिज्जया, (1990) 4 एस. सी. सी. 76,

(vii) राज्य टी. एन. v. एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एससीसी 709 (पैरा 29 से 31.3),

(viii) राज्य v. एस. सेल्वी, (2018) 13 एससीसी 455,
(ix) मौविन गोडिन्हो बनाम। गोवा राज्य (2018) 3 एस. सी. सी. 358।

6.5 अब, जहाँ तक श्री विकास सिंह द्वारा की गई दलीलों का संबंध है, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-मूल

आरोप लगाया कि वर्तमान मामले में जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता एक ही हैं और इसलिए आपराधिक कार्यवाही TARUN JIT तेजपाल बनाम हैं।

भगवान सिंह (सुप्रा) के मामले में और मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर रखी गई निर्भरता को रद्द करने की आवश्यकता है, यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में यह न्यायालय भगवान सिंह (सुप्रा) के मामले में अपने पहले के फैसले पर विचार कर रहा था, हालांकि, बाद में, वरिंदर कुमार बनाम के मामले में इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ। हिमाचल प्रदेश राज्य की 2010 की आपराधिक अपील No.2450-51 दिनांक 11.02.2019, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 170 ने विशेष रूप से यह मत व्यक्त किया है और कहा है कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू होगा।

संभावित रूप से और यह कि मोहन लाल (सुप्रा) में निर्धारित कानून से पहले सभी लंबित आपराधिक अभियोजन, मुकदमे और अपील मामले के व्यक्तिगत तथ्यों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि वरिंदर कुमार (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, जैसा कि वर्तमान मामले में, मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से पहले आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया है, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग करने की आवश्यकता नहीं है और अपीलकर्ता-मूल आरोपी जिसके खिलाफ अभियोजन के लिए मजबूत आधार बनाए गए हैं, को आरोपमुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

6.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है। 7. प्रत्युत्तर में और वरिंदर कुमार (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के बाद के फैसले के आधार पर निर्भरता पर भरोसा किया।

श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि वरिंदर कुमार (सुप्रा) के मामले में बाद की पीठ के लिए यह अवलोकन करने और यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला नहीं था कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में निर्णय संभावित रूप से लागू होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि केवल मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में, न्यायालय यह अवलोकन और अभिनिर्धारित कर सकता था कि उक्त निर्णय को संभावित रूप से लागू किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में पीठ ने यह नहीं देखा कि उक्त निर्णय संभावित रूप से लागू होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह बाद की पीठ के लिए यह देखने और अभिनिर्धारित करने के लिए खुला नहीं था कि मोहन लाल (सुप्रा) का मामला संभावित रूप से लागू होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय [2019] 10 एस. सी. आर. पर मामले के तथ्यों पर पूरी ताकत से लागू होगा।

और चूंकि शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हैं, इसलिए पूरी आपराधिक कार्यवाही को दूषित कर दिया गया है और इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और अपीलार्थी को उन अपराधों से मुक्त किया जाए जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।

8. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में। हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के साथ-साथ अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री पर भी विचार किया है और विचार किया है।

8.1 शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जाँच के समापन के बाद जाँच अधिकारी ने आरोप पत्र दाखिल किया था।

धारा 354,354 ए, 354 बी के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ,

341 , 342 , 376 (2) (आई. पी. सी. के च) और 376 (2) (के)। कि इसके बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किया है

उपरोक्त अपराधों के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227/228 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए। उपरोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करना उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है

पुनरीक्षण आवेदन और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। इसलिए, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष है।

उसी और इसलिए मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही दूषित हो जाती है और इसलिए अपीलार्थी-मूल अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जाना है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस तथ्य के अलावा कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर संदेह किया गया है और एसएलपी (सीआरएल) में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2019 को पारित आदेश के अनुसार। डी. 2018 का No.39528, इसे बड़ी पीठ को संदर्भित किया जाता है। वरिंदर कुमार (सुप्रा) के मामले में बाद के निर्णय में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने का अवसर मिला और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि मोहन लाल (सुप्रा) में निर्धारित कानून से पहले सभी लंबित आपराधिक अभियोजन, मुकदमे और अपीलें TARUN JIT तेजपाल v. द्वारा शासित होती रहेंगी।

मामले के व्यक्तिगत तथ्य। इसलिए, उस पर रखी गई निर्भरता अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है -

गलत जगह पर रखा गया। अब, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वरिंदर कुमार (सुप्रा) के मामले में बाद की पीठ यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकती थी कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह पीठ इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि क्या वरिंदर कुमार (सुप्रा) के मामले में बाद के निर्णय में, पीठ मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में निर्णय की संभावित प्रयोज्यता पर विचार नहीं कर सकती थी या नहीं? इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय संभावित रूप से लागू होगा और यह आपराधिक अभियोजन, परीक्षण और अपील को प्रभावित नहीं करेगा। हम उस फैसले से बंधे हैं। इसलिए, हमारी राय है कि मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मामले में मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में निर्णय से बहुत पहले आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया है। इसलिए, अपीलार्थी को इस स्तर पर मुख्य रूप से इस आधार पर आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता है कि जांच अधिकारी और

मोहन लाल (सुप्रा) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता/मुखबिर वही हैं जिन पर मुकदमा चलाया जाता है। यहाँ तक कि भगवान सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने भरोसा किया था, भी इस स्तर पर अपीलार्थी के लिए बहुत सहायक नहीं होगा। भगवान सिंह (सुप्रा) के मामले में और मुकदमे के बाद इस अदालत ने फैसला सुनाया कि चूँकि शिकायतकर्ता स्वयं जाँच अधिकारी था, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से मुक्त नहीं होगा। यह मुकदमे के बाद का मामला था न कि आरोप तय करने के चरण में। जहाँ शिकायतकर्ता ने स्वयं जाँच की थी, अभिलेख पर साक्ष्य का आकलन करते समय मामले के ऐसे पहलू को निश्चित रूप से उचित महत्व दिया जा सकता है, लेकिन यह कहना पूरी तरह से अलग बात होगी कि इस तरह के उल्लंघन के लिए मुकदमे को ही दूषित किया जाएगा। इसलिए, उपरोक्त आधार की आवश्यकता नहीं है।

शुल्क लेते हैं। आरोप तय करने के चरण में, विभिन्न विचार किए जाते हैं। जिनका वजन होगा, जिन पर नीचे चर्चा की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. अब, जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा उसे दोषमुक्त करने की प्रार्थना और श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का संबंध है, धारा 227/सी. आर. पी. सी. के स्तर पर कानून पर विचार करने की आवश्यकता है।

9.1 एन. सुरेश राजन (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने एक

मंच पर कार्यवाही के दायरे पर विस्तार से विचार करना

धारा 227/228 सी. आर. पी. सी. के तहत शुल्क का संयोजन। पैराग्राफ 29 में इसके बाद के बिंदु पर इस न्यायालय के फैसलों पर विचार करने के बाद

न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 29. हमने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों पर ध्यान दिया है और श्री रंजीत कुमार द्वारा की गई दलीलें हमारी सराहना करती हैं। सच है।

यह है कि आवेदनों पर विचार करने के समय

निर्वहन, न्यायालय अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की छान-बीन कर सकता है कि क्या लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं ताकि निर्वहन का आदेश पारित किया जा सके। यह सामान्य बात है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालय को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सही है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन एक -

यह पता लगाने के लिए कि क्या वहाँ से सामने आने वाले तथ्यों को लिया गया है

एक दोषसिद्धि का आश्वासन देता है। हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और न कि क्या अपराध को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, यदि अदालत सोचती है कि आरोपी ने अपने संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह अपराध की रूपरेखा तैयार कर सकती है।

आरोप; हालांकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को आना होगा

यह निष्कर्ष निकालना कि अभियुक्त ने अपराध किया है। कानून.

इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है।

30. इस संबंध में श्योराज सिंह अहलावत बनाम मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य [(2013) 11 एस. सी. सी. 476: (2012) 4 एससीसी

(सीआरआई) 21: ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 52], जिसमें, TARUN JIT तेजपाल बनाम पर विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद।

इस बिंदु पर, इस न्यायालय ने ओंकार में लिए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण का समर्थन किया

(2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 507] (श्योराज सिंह अहलावत मामला [(2013) 11 एससीसी 476: (2012) 4 एससीसी (सीआरआई) 21: आकाशवाणी 2013

एससी 52], एससीसी पी। 482 , पैरा 15)

" 15. '11 . यह सामान्य बात है कि आवेग की संरचना के चरण में

अदालत को सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है

यह पता लगाने की दृष्टि से कि क्या तथ्य सामने आ रहे हैं

वहाँ से, उनके अंकित मूल्य पर लिया गया, खुलासा किया

कथित का गठन करने वाले सभी अवयवों का अस्तित्व

अपराध। उस स्तर पर, अदालत के गहराई तक जाने की उम्मीद नहीं है

अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में। क्या?

विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कोई आधार है

यह मानते हुए कि अपराध किया गया है और नहीं

तथ्यात्मक अवयवों के अस्तित्व के बारे में राय कथित अपराध का गठन करना उचित होगा

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करना

उस अपराध को करना। ' (ओंकार नाथ मामला [(2008)

2 एससीसी 561: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 507], एस. सी. सी. पी. 565 , पैरा

11) "

(मूल में जोर)

संहिता की धारा 227 के प्रावधान पर विचार करें और यह स्पष्ट करें कि आरोपमुक्त करने के स्तर पर न्यायालय मामले के पक्ष और विपक्ष की बारी-बारी से जांच नहीं कर सकता है और साक्ष्य को ऐसे तौला नहीं जा सकता है जैसे कि वह मुकदमा चला रहा हो। यह उल्लेखनीय है कि संहिता सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोपमुक्त करने पर विचार करती है। उसके द्वारा विचारणीय मामले में धारा 227 के तहत; पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले धारा 239 और स्थापित मामले [2019] 10 एस. सी. आर. द्वारा कवर किए जाते हैं।

पुलिस रिपोर्ट के अलावा धारा 245 में कार्रवाई की जाती है। उपरोक्त धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उनमें निर्वहन के संबंध में कुछ अलग प्रावधान हैं। एक अभियुक्त काः

31.1 . संहिता की धारा 227 के तहत, निचली अदालत को आरोपी को आरोपमुक्त करने की आवश्यकता होती है यदि वह मानती है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। हालाँकि, धारा 239 के तहत आरोपमुक्त करने का आदेश तब दिया जा सकता है जब "मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ आरोप को निराधार समझता है"। धारा 245 (1) के तहत आरोपमुक्त करने की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब "मजिस्ट्रेट, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए विचार करता है कि अभियुक्त के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है जो, यदि अप्रमाणित हो, तो उसकी दोषसिद्धि की गारंटी देता हो"।

31.2 . धारा 227 और 239 में पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों और पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद आरोपी की जांच के आधार पर साक्ष्य दर्ज करने से पहले आरोपमुक्त करने का प्रावधान है। हालाँकि, दूसरी ओर, धारा 245 के तहत आरोपमुक्त करने का चरण धारा 244 में निर्दिष्ट साक्ष्य लेने के बाद ही प्राप्त होता है। 31.3 . इस प्रकार, इन प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा में अंतर है। लेकिन, हमारी राय में, इन मतभेदों के बावजूद, और जो भी प्रावधान लागू हो सकता है, अदालत को इस स्तर पर यह देखने की आवश्यकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला है। इस संबंध में आर. एस. नायक बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। ए. आर. अंतुले [(1986) 2 एस. सी. सी. 716: 1986 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 256] वही इस प्रकार हैः (एससीसी पीपी। 755-56 , पैरा 43)

" 43 ..... स्थिति में इस अंतर के बावजूद इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिस स्तर पर मजिस्ट्रेट को धारा 245 (1) के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह प्रारंभिक है और 'प्रथम दृष्टया' मामले का परीक्षण लागू करना होगा। तीनों धाराओं की भाषा में अंतर के बावजूद, कानूनी स्थिति यह है कि यदि निचली अदालत संतुष्ट है कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, तो आरोप लगाया जाना चाहिए

फ्रेम किया गया "। तरुण जीत तेजपाल बनाम। गोवा राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

9.2 एस. सेल्वी (सुप्रा) के मामले में बाद के निर्णय में इस टी ने आरोप तैयार करते समय सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

सी. आर. पी. सी. की धारा 227/228। इस न्यायालय ने कहा है और

पैराग्राफ 6 और 7 में निम्नानुसार हैः

" 6. यह इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अच्छी तरह से तय किया गया है।

भारत संघ बनाम। प्रफुल्ल कुमार सामल [संघ

भारत बनाम. प्रफुल्ल कुमार सामल (1979) 3 एस. सी. सी. 4: 1979 एससीसी

(क्रि) 609], दिलावर बालू कुराने बनाम। की स्थिति

(2002) 2 एस. सी. सी. 135 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 310], सज्जन कुमार बनाम. सीबीआई [सज्जन कुमार बनाम। सी. बी. आई. (2010) 9 एस. सी. सी. 368: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1371], राज्य बनाम। ए. अरुण कुमार [राज्य बनाम। ए. अरुण कुमार, (2015) 2 एससीसी 417: (2015) 2 एससीसी (सीआरआई) 96: (2015) 1 एससीसी

(एल एंड एस) 505], सोनू सोनू गुप्ता बनाम। दीपक गुप्ता [सोनू]

गुप्ता बनाम। दीपक गुप्ता (2015) 3 एस. सी. सी. 424: (2015) 2 एससीसी (सीआरआई)

265] , उड़ीसा राज्य बनाम। देबेंद्र नाथ पाधी [राज्य

उड़ीसा बनाम। देवेंद्र नाथ पाधी, (2003) 2 एस. सी. सी. 711: 2003 एससीसी

(क्री) 688], निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम। जितेंद्र

भीमराज बिज्जया [निरंजन सिंह करम सिंह]

पंजाबी बनाम। जितेंद्र भीमराज बिज्जया, (1990) 4 एस. सी. सी. 76: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 47] और एस. & कानूनी की याद दिलाने वाला

मामले वी। अनिल कुमार भुनजा [सुप्ट। & कानूनी की याद दिलाने वाला

मामले वी। अनिल कुमार भुनजा, (1979) 4 एससीसी 274 1979 एससीसी

(सी. आर. आई.) 1038] कि न्यायाधीश ने सत्र मामलों में संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते हुए (जो वारंट मामलों से संबंधित धारा 239 सी. आर. पी. सी. के समान है)

सीमित के लिए साक्ष्य को छानने और तौलने की निस्संदेह शक्ति

यह पता लगाने का उद्देश्य कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं; जहाँ सामग्री को सामने रखा गया है।

अदालत अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जो

यदि ठीक से समझाया नहीं गया है, तो न्यायालय आरोप तैयार करने में पूरी तरह से उचित होगा; कुल मिलाकर यदि दो विचार समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य कुछ संदेह को जन्म देते हैं, लेकिन उसके खिलाफ गंभीर संदेह नहीं है। अभियुक्त, वह पूरी तरह से निर्वहन करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा

अभियुक्त। न्यायाधीश केवल डाकघर या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

अभियोजन पक्ष का मुखपत्र, लेकिन व्यापक पर विचार करना होगा मामले की संभावनाएँ, बयानों का कुल प्रभाव और [2019] 10 एस. सी. आर.

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, मामले में होने वाली कोई भी बुनियादी दुर्बलताएँ आदि। हालाँकि इसका यह मतलब नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और पक्षों की बारी-बारी से जाँच करनी चाहिए और सामग्री को तौलना चाहिए जैसे कि वह संचालन कर रहा था।

रियाल।

सज्जन कुमार बनाम। सीबीआई [सज्जन कुमार बनाम। सी. बी. आई. (2010) 9 एस. सी. सी. 58: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1371], यह न्यायालय धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में गंभीर निर्णयों पर विचार करने पर

od, निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित कियाः (एससीसी पीपी। 376-77 , पैरा -)

" (i) न्यायाधीश के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय निष्कर्ष निकालने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की निस्संदेह शक्ति है।

यह पता लगाना कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं। प्रथम दृष्टया मामले का निर्धारण करने के लिए परीक्षण होगा

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

((ii) जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जो ठीक से नहीं किया गया है।

समझाया, अदालत एक आरोप तैयार करने में पूरी तरह से उचित होगी

और मुकदमे के साथ आगे बढ़ना। ((iii) न्यायालय केवल डाकघर या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

अभियोजन पक्ष का मुखपत्र लेकिन मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य के कुल प्रभाव और अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, किसी भी बुनियादी दुर्बलता आदि पर विचार करना होता है। हालाँकि, इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष की बारीकी से जांच नहीं की जा सकती है और सबूतों को ऐसे तौला नहीं जा सकता है जैसे कि वह एक मुकदमा चला रहा हो।

((iv) यदि अभिलेख की सामग्री के आधार पर, न्यायालय यह राय बना सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है कि

अभियुक्त ने यह अपराध किया है।

(v) आरोप तैयार करने के समय, अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में नहीं जाया जा सकता है, लेकिन आरोप तैयार करने से पहले अदालत को सामग्री TARUN JIT तेजपाल v पर अपने न्यायिक दिमाग को लागू करना चाहिए।

गोवा राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अभिलेख पर रखा गया है और संतुष्ट होना चाहिए कि

अभियुक्त द्वारा अपराध संभव था।

कथित अपराध। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्य की छान-बीन करें क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष जो कुछ भी सुसमाचार सत्य के रूप में बताता है उसे स्वीकार करे, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के खिलाफ हो। (vii) यदि दो विचार संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है, तो विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर, उसे यह देखने का अधिकार नहीं होगा कि मुकदमा दोषसिद्धि में समाप्त होगा या दोषमुक्त। " "

9.3 मौविन गोडिन्हो (सुप्रा) के मामले में इस अदालत के पास इस बात पर विचार करने का अवसर था कि तैयार करते समय प्रथम दृष्टया मामले का निर्धारण कैसे किया जाए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227/228 के तहत शुल्क। इसी निर्णय में इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए वहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के चरण में

यह मामले के पक्ष और विपक्ष में एक घुमावदार जांच नहीं हो सकती है और सबूतों को ऐसे तौला जा सकता है जैसे कि वह एक मुकदमा चला रहा हो।

9.4 इस स्तर पर स्त्री अतिचार विरोधी परिषद (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को भी संदर्भित करने की आवश्यकता है।

उस उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय को धारा 227 के तहत मामले पर निर्णय लेने के स्तर पर जांच के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला था।

228 सीआरपीसी से। पैराग्राफ 11 से 14 में उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227

पक्षों के लिए आग्रह किए गए तर्कों पर, प्रदान करता है:

" 227. निर्वहन। यदि अभिलेख पर विचार करने पर

मामला और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश का मानना है कि इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्तक विरुद्ध कार्यवाही करैत ओ अभियुक्तकैँ आरोपमुक्त कऽ देत।

और ऐसा करने के लिए उसके कारणों को दर्ज करें। "[2019] 10 एस. सी. आर.

12. धारा 228 न्यायाधीश से आरोप तय करने की अपेक्षा करती है यदि वह मानता है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। इन दोनों धाराओं का अंतःक्रिया पहले से ही इस न्यायालय द्वारा विचार का विषय रहा है। बिहार राज्य में। रमेश सिंह [(1977) 4 एससीसी 39: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 533: (1978) 1 एस. सी. आर. 257], जे. उन्तवालिया ने उक्त धाराओं के दायरे को समझाते हुए कहाः [एस. सी. आर पी. 259 : एससीसी पीपी। 41-42 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) पीपी. 535-36 , पैरा 4]

अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करने से पहले निर्णय लेने के चरण में बिल्कुल लागू नहीं किया जाना है। संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत मामला। उस स्तर पर अदालत को यह नहीं देखना है कि क्या पर्याप्त है

अभियुक्त के दोषसिद्धि के लिए आधार या क्या मुकदमा उसकी दोषसिद्धि में समाप्त होना निश्चित है। के खिलाफ मजबूत संदेह

अभियुक्त, यदि मामला संदेह के क्षेत्र में रहता है, तो मुकदमे के समापन पर अपने अपराध के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में यदि कोई मजबूत संदेह है जो अदालत को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह मानने के लिए आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है तो अदालत के लिए यह कहना खुला नहीं है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

13. भारत संघ में v. प्रफुल्ल कुमार सामल [(1979) 3 एससीसी 4: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 609: (1979) 2 एस. सी. आर. 229], जे. फजल अली ने कुछ सिद्धांतों का सारांश दियाः [एससीआर पीपी। 234-35 : एस. सी. सी पी. 9 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) पीपी. 613-14 , पैरा 10]

“ (1) कि न्यायाधीश ने संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते हुए निस्संदेह तारून जीत तेजपाल बनाम.

गोवा राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था या नहीं, यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की शक्ति।

(2) जहाँ अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, वहाँ अदालत आरोप तैयार करने में पूरी तरह से उचित होगी। और मुकदमे के साथ आगे बढ़ना।

(3) प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसका निर्धारण करना मुश्किल है।

अभियुक्त को दोषमुक्त करने के उसके अधिकार के भीतर पूरी तरह से हो। (4) कि धारा 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

न्यायाधीश जो वर्तमान संहिता के तहत एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायालय है, केवल एक डाकघर या एक डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

अभियोजन पक्ष का मुखपत्र, लेकिन मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य के कुल प्रभाव और अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी बुनियादी दुर्बलता आदि पर विचार करना होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और विपक्ष की बारी-बारी से जांच करनी चाहिए और सबूतों को ऐसे तौलना चाहिए जैसे कि वह मुकदमा चला रहा हो। ”

14. ये दोनों निर्णय अलग-अलग सिद्धांतों को निर्धारित नहीं करते हैं। प्रफुल्ल कुमार मामला (1979) 3 एस. सी. सी. 4: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 609: (1979) 2 एस. सी. आर. 229] ने केवल वही दोहराया है जो रमेश सिंह मामले [(1977) 4 एस. सी. सी. 39 में कहा गया हैः 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 533: (1978) 1 एससीआर 257]। वास्तव में, धारा 227 में ही इस उद्देश्य के लिए जांच के दायरे के रूप में पर्याप्त दिशा-निर्देश हैं - एक अभियुक्त को दोषमुक्त करना। इसमें प्रावधान है कि "न्यायाधीश तब कार्यमुक्त करेगा जब वह समझता है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

अभियुक्त के खिलाफ "। संदर्भ में "आधार" दोषसिद्धि का आधार नहीं है, बल्कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का आधार है। यह मुकदमे में है, आरोपी का अपराध या निर्दोषता होगी

निर्धारित किया जाता है और प्रभार की रचना के समय नहीं। इसलिए अदालत को जांच और [2019] 10 एस. सी. आर. में विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

सामग्री का वजन करें। न ही विभिन्न पहलुओं में गहराई से जाने की आवश्यकता है। अदालत को केवल इस बात पर विचार करना है कि क्या रिकॉर्ड पर साक्ष्य सामग्री यदि आम तौर पर स्वीकार की जाती है, तो क्या आरोपी को अपराध से यथोचित रूप से जोड़ा जा सकता है। अधिक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। "

पीड़ित/अभियोजक के आचरण पर अपीलार्थी की ओर से मुकदमे के दौरान एक उचित चरण में निपटा जाना और विचार किया जाना आवश्यक है। शुल्क तय करने के इस चरण में इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर, हमारी राय है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक से अधिक मामला है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है। अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है और इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप सही ढंग से तैयार किया है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी सही पुष्टि की गई है। इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। 10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप अपील खारिज हो जाती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के खिलाफ यौन शोषण के आरोप बहुत गंभीर हैं और एक महिला की गरिमा को प्रभावित करते हैं और यह एक समाज में सबसे नैतिक और शारीरिक रूप से निंदनीय अपराध है, पीड़ित के मन और गोपनीयता पर हमला और ऐसे अपराधों के लिए मुकदमे का जल्द से जल्द निर्णय लेने और निपटान करने की आवश्यकता है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान मामले में विद्वान निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया है और घटना 2013 की है और लंबित कार्यवाही के कारण मुकदमे को समाप्त करने में पहले से ही देरी हो रही है, हम विद्वान निचली अदालत को इस अदालत के आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द मुकदमा समाप्त करने का निर्देश देते हैं। सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि वे मुकदमे के पहले निपटारे में और ऊपर बताए गए निर्धारित समय के भीतर निचली अदालत के साथ सहयोग करें।

अरुण जीत तेजपाल बनाम। गोवा और ए. एन. आर. का राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

इन टिप्पणियों के साथ वर्तमान अपील खारिज हो जाती है। यह (ओं), यदि कोई हो, निपटाया जा सकता है। एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में 2018 का एम. ए. No.2207 No.3149-3150 का

वह वर्तमान एम. ए. एक निपटाए गए मामले में दायर किया गया है। 3149-3150 2014 का अधिनियम ट्रायल सी को आवेदक का पासपोर्ट निर्देशित करने की प्रार्थना के साथ ताकि वह 21.08.2018 से 01.09.2018 के बीच किसी भी समय यात्रा कर सके। उस पी ओवर के बाद से, वर्तमान एमए निष्फल हो गया है और डिस्प है।

अपील खारिज और एम. ए. डिस

इजराल